भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1037

दिनांक 04.03.2015/13 फाल्गुन, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

मृत अर्द्ध-सैनिक कार्मिको के परिवारों को अनुग्रही अदायगी

1037. श्री राजीव शुक्ल :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2014 के दौरान नक्सली विद्रोह एवं विद्रोह का मुकाबला करने वाले ऑपरेशनों में कितने अर्द्ध-सैनिक कार्मिकों की हत्या हुई हैं:

(ख) उन मारे गए कितने कार्मिकों के परिवारों को अनुग्रही अदायगी प्रदान की जा चुकी है; और

(ग) कितनी राशि लंबित है तथा उसे कब तक जारी कर दिया जाएगा?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री किरेन रिजिजू)**

(क) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीए) और असम राइफल्स द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2014 के दौरान नक्सली विद्रोह एवं विद्रोह-रोधी अभियानों में 56 कार्मिक मारे गए है।

(ख) और (ग) सीएपीएफ और असम राइफल्स के 50 मृत कार्मिकों के निकतम संबंधियों (एनओके) को मुआवजे की एकमुश्त अनुग्रह राशि के रूप में 15 लाख रू. का भुगतान किया गया है। निकटतम संबधियों से अपेक्षित दस्तावेजों, अर्थात् न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र और नियमानुसार अन्य अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त नहीं होने के कारण 90 लाख रू. की राशि की मुआवजे की एकमुश्त अनुग्रह राशि के भुगतान के 06 मामले (केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल-02 और असम राइफल्स-04) लंबित है।